तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमसिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 317/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-11-2022	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, निवासी ग्राम व पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.07.2022 में (1) जिला कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर के द्वारा जोधपुर जिले में कार्यरत कार्यालय तहसीलदारों को वर्ष 2022–23 में नई बोलोरों सरकारी गाड़ियों के आवंटन की प्रमाति सूचि मय नम्बर उपलब्ध करवाने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1633 दिनांक 21.09.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथना पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण प्रार्थी के आवेदन पत्र धारा 5(4) के तहत प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा कार्यालय हाजा को कार्यालय पत्रांक 1339 दिनांक 16.08.2022 द्वारा प्रेषित कर 7 दिवस में सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया,, परन्तु सूचना लेखा अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। रिपोर्ट में धारा 5(5) के तहत प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश प्रदान करने की प्रार्थना की। प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा की पत्रावलियां देखी गई। अपीलार्थी/प्रार्थी के दो सूंचना प्रार्थना पत्र के सबंध में सम्मिलित सूचना तैयार कर जरिये पत्रांक 2146 दिनांक 16.11.2022 रजिस्टर्ड निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है, परन्तु विलम्ब से दी गई अतः लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विधिक प्रावधानों के नियत समय में निस्तारण करे। अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	